



17.03.2025



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 (फाल्गुन 27, 1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

- (i) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 12 सितम्बर, 2024,
 - (ii) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 8 नवम्बर, 2024,
 - (iii) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 11 नवम्बर, 2024,
 - (iv) एफ 1-134/2024/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024,
 - (v) एफ 1-135/2024/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024,
 - (vi) एफ 1-138/2014/18, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024,
 - (vii) एफ 1-138/2024/18, दिनांक 15 जनवरी, 2024 तथा
 - (viii) एफ 1-137/2024/18, दिनांक 13 फरवरी, 2025
- पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री राजेश मूणत, डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता पद के लिये सिविल इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को आवेदन देने से वंचित किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, महासमुन्द जिले में कीटनाशक दवाईयों को कृषि सेवा केन्द्रों में अवैध रूप से बिक्री किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री धर्मजीत सिंह, सभापति, याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (2) श्री भईया लाल राजवाड़े, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(शेष चर्चा) (1)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित—

- | | | |
|-------------|----|---|
| मांग संख्या | 3 | पुलिस |
| मांग संख्या | 4 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय |
| मांग संख्या | 5 | जेल |
| मांग संख्या | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| मांग संख्या | 46 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| मांग संख्या | 47 | तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग |

2 घंटे (2)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री के विभागों से संबंधित—

- | | | |
|-------------|----|--|
| मांग संख्या | 6 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 31 | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 7 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (राज्य कर एवं स्टाम्प पंजीयन) |

6. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 26 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-05 (क्रमांक-426) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

रायपुर,
दिनांक 17 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा